**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4796**

**जिसका उत्तर 31 मार्च, 2022 को दिया जाना है।**

**.....**

**मिहिर शाह समिति की रिपोर्ट**

**4796. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:**

**श्री एस. मुनिस्वामी**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** क्या सरकार का भारत के जल सुधारों के संबंध में मिहिर शाह समिति की 2016 की रिपोर्ट पर विचार करने/समीक्षा करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**(ख)** सरकार द्वारा देश में पानी के असमान वितरण को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

**(ग)** सरकार द्वारा संभावित अधूरी जल मांग और वर्ष 2030 तक मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में लगभग 570 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) पानी के अनुमानित अंतर के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

**(घ)** क्या जल शक्ति मंत्रालय के गठन और संशोधित जल संबंधी नीतियों के निर्माण के बाद कोई आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडू)**

**(क):** जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने डॉ. मिहिर शाह समिति रिपोर्ट, 2016 पर विचार किया है/इसकी समीक्षा की है। डॉ. मिहिर शाह समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद और केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष और केन्द्रीय भूजल बोर्ड के अध्यक्ष को शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय समूह सहित विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।

**(ख) और (ग):** जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कदम उठाए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार उन्हें विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग (एनसीआईडब्ल्यूआरडी) रिपोर्ट-2019 के अनुसार वर्ष 2050 में देश की उच्च मांग परिदृश्य में यह मांग 1180 बीसीएम है।

'अंतरिक्ष इनपुट्स का प्रयोग करते हुए भारत में जल उपलब्धता का पुन: आकलन, 2019' शीर्षक अध्ययन के आधार पर देश में जल संसाधन उपलब्धता का वार्षिक औसत 1999.20 बीसीएम आंका गया है। ऐसा अनुमान है कि स्थलाकृति, जल विज्ञानी और दूसरी रूकावटों के कारण उपयोग किया जाने वाला जल 1126 बीसीएम है जिसमें 690 बीसीएम सतही जल और 436 बीसीएम का पुनर्भरण भूजल शामिल रहता है।

भारत सरकार ने 1980 में अधिशेष बेसिनों/क्षेत्रों में पानी को स्थानांतरित करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के तहत व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 30 लिंक (प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 और हिमालय घटक के तहत 14) की पहचान की है। हालांकि, नदी को जोड़ने की परियोजनाएँ बड़े पैमाने पर भागीदार राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के लिए आम सहमति पर निर्भर हैं।

भारत सरकार राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन को क्रियान्वित कर रही हैं जिससे कि वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल द्वारा पीने योग्य पानी की 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सेवा स्तर पर प्रदान करने के प्रावधान किए जा सकें।

भारत सरकार ने 1 अक्टूबर, 2021 को 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2021- 22 से 2025-26) की अवधि के लिए अमृत 2.0 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य देश के सभी वैधानिक शहरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पानी की आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। अमृत 2.0 उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण / पुन: उपयोग, जल निकायों के कायाकल्प और जल संरक्षण के माध्यम से निर्दिष्ट शहरों को पानी सुरक्षित बनाने पर केंद्रित है।

माननीय प्रधान मंत्री ने 22 मार्च, 2021 से 30 नवंबर, 2021 - प्री-मानसून और मानसून अवधि के दौरान देश भर के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) के सभी ब्लॉकों को कवर करने के लिए 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) थीम "कैच द रेन-व्हेयर इट फॉल्स व्हेन इटफॉल्स" का शुभारंभ किया। जेएसए: सीटीआर अभियान में पांच केंद्रित कार्यकलाप थे- (1) वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण (2) सभी जल निकायों की गणना, भू-टैगिंग और सूची बनाना; जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजना तैयार करना (3) सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना (4) गहन वनरोपण और (5) जन-जागरूकता पैदा करना। भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 29 मार्च, 2022 को जल शक्ति अभियान-2022 का शुभारंभ किया गया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत 77,595 करोड़ रूपए की शेष अनुमानित लागत से चल रही वृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को राज्यों के परामर्श से चरणों में पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी गई है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - हर खेत को पानी के तहत 2015-16 से कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम को लाया गया है। सीएडी कार्यों को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग को बढ़ाना और सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) के माध्यम से स्थायी आधार पर कृषि उत्पादन में सुधार करना है। वर्ष 2021-26 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडी एंड डब्ल्यूएम के कार्यान्वयन को भारत सरकार ने 23,918 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता के साथ अनुमोदित किया है।

कृषि और किसान कल्याण विभाग प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के "प्रति बूंद अधिक फसल" घटक को लागू कर रहा है जो भारत में 2015-16 से चालू है। पीएमकेएसवाई - "प्रति बूंद अधिक फसल" मुख्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली) के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) द्वारा 14.11.2019 को 'सही फसल' अभियान शुरू किया गया था ताकि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया जा सके जिसमे पानी का बहुत कुशलता से उपयोग किया जाता है, आर्थिक रूप से लाभकारी हैं, स्वस्थ और पौष्टिक हैं, क्षेत्र की कृषि-जलवायु-हाइड्रो विशेषताओं के अनुकूल और पर्यावरण के अनुकूल हैं।

भारत सरकार, अटल भूजल योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, को सात राज्यों हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 81 जिलों की 8,774 ग्राम पंचायतों में लागू कर रही है। इस योजना का फोकस सामुदायिक भागीदारी और चिन्हित जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए मांग पक्ष के कार्यों पर है।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यबी) द्वारा भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएम एंड आर) योजना के हिस्से के रूप में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एनएक्यूयूआईएम में देश में भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए जलभृतों (जल धारण संरचनाओं) की मैपिंग, उनके विशिष्टीकरण तथा जलभृत प्रबंधन योजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है। एनएक्यूयूआईएम से प्राप्त निष्कर्षों को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ साझा किया जाता है।

**(घ):** भारत सरकार द्वारा पूर्ववर्ती जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को एकीकृत करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य एक ही जगह के अंतर्गत जल संसाधन प्रबंधन कार्यों को एकीकृत करना है जिससे कि जल संबंधी मामलों को समग्रता से समाधान किया जा सके।

*****